[illegible] उप. । बहस अंतिम सुनी गई ।
पत्रावली वास्ते आदेश / निर्णय दिनांक
28.1.19 को पेश हो।

28.1.19 पत्रावली पेश हुई। वादी का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल पत्रावली है। मुताबिक राजीनामा पर्चा डिक्री जारी की जावे। राजीनामा निर्णय व डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।
आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :— सुरेंन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

रघुवीर सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

—: वादी

एंवम / बनाम

1. जगसीर सिंह पुत्र श्री निरंजन सिह जाति जटसिख निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2. जगवीर कौर पत्नि श्री जगसीर सिह जाति जटसिख निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3. हरजिन्द्र कौर पुत्री श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
4. हरविन्द्र कौर पुत्री श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

—: प्रतिवादीगण

वाद संख्या 152 सन् 2018 निर्णय दिनांक 28.1.19

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

उपस्थिति :—

1. योगश झोरड अधिवक्ता — वादी
2. श्री तरसेम सिह बराड़ अधिवक्ता — प्रतिवादी सख्या 1 ता 4

निर्णय

दिनांक 28.1.19

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी सख्या 1 के नाम चक 20 केएसपी, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 28/28, जमाबन्दी सम्वत 2071—74 के पत्थर नम्बर 122/326 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 21, 22 व पत्थर नम्बर 121/327 मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 1/1/0.013, 2/0.202, 3, 4, 5, 7, 8/0.228, 9/1/0.025, 13/0.190, 14, 16, 17, पत्थर नम्बर 122/327 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 1, 2, 20, 21 कुल क्षेत्रफल 3.883 है. व इसी चक के खाता सख्या 82/77, जमाबन्दी सम्वत 2071—74 के पत्थर नम्बर 122/327 मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 12, 19, 22 कुल 0.759 है. में संयुक्त खाता में दर्ज 1/2 हिस्सा कृषि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। दफा 3 में वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को पैतृक कृषि भूमि प्राप्त हुई है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संयुक्त परिवार में अपने नाम दर्ज कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए वादी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि एंव प्रतिवादीगण का घरू बंटवारा किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 एंव वादी के हक व हिस्सा एंव घराघरू बंटवारा में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 परस्पर एक ही परिवार के सदस्य है एंव संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए संयुक्त रहते हुए वादी को प्राप्त प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम दर्ज पैतृक कृषि भूमि में से वादी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का बंटवारा कर वादी का सौप दिया है। घराघरू बंटवारा एंव वादी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का बंटवारा कर लिया गया एंव वादी के हिस्सा की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण सींव व रकम राज को लेकर विवाद रहता है। वादी इस आशय की घोषणा फरमाई जाने के अधिकारी है कि वाद पत्र की दफा 3 के मुताबिक घराघरू बंटवारा एंव वादी के हक व हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है एंव इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज करवाने का अधिकारी है।

Scanned by CamScanner

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 व वादी की ओर से स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में तहरीरी साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी चक 20 केएसपी, खाता सख्या 28/28 व 82/77 आदि पैश की गई है।

वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायमब नही की गई। वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 की बहस सुनी गई जिन्होने दौराने बहस संयुक्त कथन किया कि पक्षकारान हिन्दू परिवार के सदस्य है जो आपस में भाई, पिता, पुत्र, माता, भाई–बहिन वगैरा का सम्बन्ध है। पक्षकारान ने रिश्तेदारो व भाई बन्धुओ ने मिलकर पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है और लोक अदालत की भावना से पक्षकारान ने मुताबिक घरेलू बंटवारा एव हक व हिस्सा की कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि का घरेलू बंटवारा करने पर सहमत हो गये है। राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा में वर्णितानुसार मुताबिक घरेलू बंटवारा राजीनामा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर नाम दर्ज कर एंव इसी अनुसार दावा डिक्री किया जाकर घोषणा फरमाई जाने का निवेदन किया। अतः बाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री करने की सहमति दी है। वादी व प्रतिवादीगण को घरू बंटवारा के अनुसार मुताबिक राजीनामा वादग्रस्त आराजी प्राप्त कर रहे है, जिसका कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने से वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अतः वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 20 केएसपी, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 28/28, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 122/326 मुरब्बा नम्बर 27 किला नंम्बर 21, 22 व पत्थर नम्बर 121/327 मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 1/1/0.013, 2/0.202, 3, 4, 5, 7, 8/0.228, 9/1/0.025, 13/0.190, 14, 16, 17, पत्थर नम्बर 122/327 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 1, 2, 20, 21 कुल क्षेत्रफल 3.883 है. व इसी चक के खाता सख्या 82/77, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 122/327 मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 12, 19, 22 कुल 0.759 है. में संयुक्त खाता में दर्ज 1/2 हिस्सा कृषि भूमि में से वादी व प्रतिवादी सख्या 1 व 2 प्रत्येक बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार के खातेंदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। यदि प्रशनगत रकबां बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल–दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 28/1/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेंन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

रघुवीर सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

–: वादी

एंवम/बनाम

1. जगसीर सिंह पुत्र श्री निरंजन सिह जाति जटसिख निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2. जगवीर कौर पत्नि श्री जगसीर सिह जाति जटसिख निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3. हरजिन्द्र कौर पुत्री श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
4. हरविन्द्र कौर पुत्री श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

–: प्रतिवादीगण

वाद संख्या 152 सन् 2018 निर्णय दिनांक 28.1.19

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

डिक्री

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आरएएस समक्ष अभिभाषक वादी की ओर से श्री योगेश झोरड तथा अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 श्री तरसेम सिह बराड की उपस्थिति में निर्णय के अनुसार वादी को वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर इस आशय की घोशणा की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 20 केएसपी, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 28/28, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 122/326 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 21, 22 व पत्थर नम्बर 121/327 मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 1/1/0.013, 2/0.202, 3, 4, 5, 7, 8/0.228, 9/1/0.025, 13/0.190, 14, 16, 17, पत्थर नम्बर 122/327 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 1, 2, 20, 21 कुल क्षेत्रफल 3.883 है. व इसी चक के खाता संख्या 82/77, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 122/327 मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 12, 19, 22 कुल 0.759 है. में संयुक्त खाता में दर्ज 1/2 हिस्सा कृषि भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा के खातेंदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे यदि प्रशनगत रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल–दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 28.1.19 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner